कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-27.09.2024

विषयः- दुष्कर्म के मुकदमे से संबंधित मुख्य अभियुक्त को बिना आगन्तुक रजिस्टर की इण्ट्री पर कमरा उपलब्ध करवाने के मामले मे सहभागी अभियुक्त गोपाल मौर्या (गेस्ट हाउस प्रबंधक/संचालक) को थाना सारनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-438/2024 से संबंधित सहभागी अभियुक्त गेस्ट हाउस प्रबंधक/संचालक गोपाल मौर्या पुत्र मुन्नालाल मौर्या निवासी सा 10/14 गंज थाना सारनाथ जनपद वाराणसी को अंतर्गत धारा 376,120-बी भा0द0वि0 मे आज दिनांक-27.09.2024 को समय करीब 14.25 बजे थाना परिसर थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-25.09.2024 को थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी मे पंजीकृत मु0अ0सं0-438/2024 उपरोक्त मे अंतर्गत धारा 328,376,386 भा0द0वि0 व ¾ पॉक्सो एक्ट व बढोत्तरी धारा 67-A IT ACT के अपराध मे मुख्य अभियुक्त आयुष सेठ को दिनांक-26.09.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अपराध का विवरण- मु0अ0सं0-438/2024 के मुख्य अभियुक्त आयुष सेठ को बिना आगन्तुक रजिस्टर की इण्ट्री पर कमरा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गोपाल मौर्या पुत्र मुन्नालाल मौर्या निवासी-सा 10/14 गंज थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- थाना परिसर थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से, दिनांक-27.09.2024 को समय करीब 14.25 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 438/2024 धारा 376,120-बी भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।